न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 58/17 निर्णय दिनांकः— 16.10.2018

1. मेघराज पुत्र कानीराम जाति पालीवाल निवासी चकबन्धा नम्बर 1 तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कोलायत
दिनांक 15—05—2017

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासिनयॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 15—05—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 17—05—1996 को खेत खसरा नम्बर 34/1 तादादी 18 बीघा व 87/4 तादादी 6 बीघा कुल 24 बीघा भूमि वाके रोही चकबन्धा नम्बर 1 तहसील

कोलायत में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को निजी वन विकास हेतु आवंटन करके कब्जा दिया गया।

अपीलांट का उक्त भूमि पर आवंटन दिनांक से ही विधिवत रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा अपने परिवार का भरणपोषण करता आ रहा है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की दखलदाजी नहीं रही है। प्रकरण में अमलाराज ने अपीलांट की पीठ पीछे दिनांक 09–11–2001 को जरिये इंतकाल संख्या 206 उक्त आवंटनशुदा भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई जिसके बारे में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही अपीलांट को इस तथ्य की कोई जानकारी प्रदान की गई। उक्त नोट को निरस्त कराने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने हेतु अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद दिनांक 29–12–2016 को पेश किया गया। जिसमें अपीलांट को स्थगन आदेश जारी किया गया।

तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांव के संग में दिनांक 15–05–2017 को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया। जबकि अदालत मातहत को दावे में तनकियात कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त भूमि संवत् 2044–47 में नामान्तरणकरण संख्या 154 दिनांक 23–05–1990 में मेघराज पुत्र कानीराम को वृक्षारोपण हेतु आवंटन गैर खातेदार दर्ज शुदा है। संवत् 2048–51, 2052–55 व संवत् 2056–57 में अपीलांट के नाम आवंटनशुदा रही तथा मौके पर प्रार्थी द्वारा बाड़ व तारबन्दी करके काबिज है तथा वर्ततान में भी प्रार्थी उक्त भूमि पर बाड़ व तारबन्दी कर रखी है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर खेती का कार्य किया जाता है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से साबित है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत

मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंधन किया जिसके कारण भूमि आराजीराज दर्ज की गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद मनगढ़त है। यदि अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है तो अपीलांट को उक्त आवंटन के विरूद्व विधिवत चाराजोई करनी चाहिए थी। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वनविकास हेतु आवंटित भूमि की काश्त कर दुरूपयोग किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। चूंकि अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वादपत्र आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने के आधार पर अपीलांट का वादपत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि **उक्त भूमि संवत्**

2044—47 में नामान्तरणकरण संख्या 154 दिनांक 23—05—1990 में मेघराज पुत्र कानीराम को वृक्षारोपण हेतु आवंटन गैर खातेदार दर्ज शुदा है। संवत् 2048—51, 2052—55 व संवत् 2056—57 में अपीलांट के नाम आवंटनशुदा रही तथा मौके पर प्रार्थी द्वारा बाड़ व तारबन्दी करके काबिज है तथा वर्ततान में भी प्रार्थी उक्त भूमि पर बाड़ व तारबन्दी कर रखी है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर खेती का कार्य किया जाता है।

इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से साबित है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(3) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 188 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि पटवारी रिपोर्ट से तथ्य साबित होता है कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(4) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा आवंटनशर्तो का उल्लघंन किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। इस संबंध में अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प गुड़ा में पेश हुई वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी स्टेट की और से तहसीलदार स्वयं उपस्थित। इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र आकड़ों को पूरा करने के उद्वेश्य मात्र से न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(5) प्रशासन गांवों के संग व अन्य राजस्व अभियानों का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे ना कि पक्षकारों की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किये जावे। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार की मंशा के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश दिनांक 15—05—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे निर्णय के पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का निस्तारण दो माह में करें। तब तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर